



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28082025-265781
CG-DL-E-28082025-265781

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 541]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 28, 2025/भाद्र 6, 1947

No. 541]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 28, 2025/BHADRA 6, 1947

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 585(अ).— राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा नियम, 2014 में और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा (संशोधन) नियम, 2025 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा नियम, 2014 में, -

(i) अनुसूची 2 में, क्रम संख्या 4 के सामने, शीर्षक "(I) शिक्षक विशेषज्ञ उप कैडर (सहायक प्रोफेसर या सहबद्ध प्रोफेसर या प्रोफेसर)" के अधीन, क्रम संख्या 1 के सामने, शीर्षक "(ख) वर्धमान महावीर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय

और सफ़दरज़ंग अस्पताल, नई दिल्ली" के अधीन, क्रम संख्या 17 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

क्रम संख्या	पदनाम या विशेषज्ञता	पदों की संख्या
"18.	पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी	01
19.	पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी	01";

(ii) अनुसूची-6 में, क्रम संख्या 59क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

क्रम संख्या	विषय	अपेक्षित स्नातकोत्तर डिग्री अर्हता	अपेक्षित स्नातकोत्तर डिप्लोमा अर्हता
"59ख.	पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी	डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी); या डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड (पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी)	-
59ग.	पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी	डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी)	-"

[फा. सं. A.12018/03/2024-CHS-V]

निखिल गजराज, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल नियम अधिसूचना संख्या. सा.का.नि. 272 (अ), तारीख 7 अप्रैल, 2014 द्वारा प्रकाशित की गयी थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा संशोधित किए गए थे, अर्थात्:-

1. सा.का.नि. 668(अ), तारीख 12 जुलाई, 2018
2. सा.का.नि. 459(अ), तारीख 28 जून, 2019
3. सा.का.नि. 662(अ), तारीख 17 अक्टूबर, 2024.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Health and Family Welfare)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th August, 2025

G.S.R. 585(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Health Service Rules, 2014 namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Health Service (Amendment) Rules, 2025.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Health Service Rules, 2014, –

(i) in SCHEDULE II, against serial number 4, under the heading “(I) TEACHING SPECIALIST SUB-CADRE (Assistant Professor or Associate Professor or Professor)”, against serial number 1, under the sub-heading “(b) VARDHAMAN MAHAVIR MEDICAL COLLEGE AND SAFDARJUNG HOSPITAL, NEW DELHI”, after serial number 17 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

Sl. No.	Designation or Specialty	Number of posts
“18.	Pediatric Neurology	01
19.	Pediatric Oncology	01”;

(ii) in SCHEDULE-VI, after Serial No.59A and the entries thereto, the following shall be inserted, namely:-

S. No.	Subject	Requisite Post Graduate Degree Qualifications	Requisite Post Graduate Diploma Qualifications
“59B.	Pediatric Neurology	Doctorate of Medicine (Pediatric Neurology); or Diplomate National Board (Pediatric Neurology)	-
59C.	Pediatric Oncology	Doctorate of Medicine (Pediatric Oncology)”	-”

[F. No. A.12018/03/2024-CHS-V]

NIKHIL GAJRAJ, Jt. Secy.

Foot Note:- The Principal rules were published *vide* notification number G.S.R. 272(E), dated the 7th April, 2014 and subsequently amended *vide* the following notification numbers, namely:-

- (1) No. G.S.R. 668(E), dated 12th July, 2018
- (2) No. G.S.R. 459(E), dated 28th June, 2019
- (3) No. G.S.R. 662(E), dated 17th October, 2024.